मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

डा.रामकिशन मांजरे,
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शिवाजी
महाविद्यालय,उदगीर (महाराष्ट्र)

'मानव अधिकार' आज से सत्तर वर्ष पूर्व क्वचितही प्रसार माध्यमों, पाठ्यपुस्तकों और राजनयिक गम्भीर वार्तालापों में आता था। किन्तु आज के सार्वजनिक जीवन में इसने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहन कर लिया है। इसका एक बहुत बडा कारण गैर-सरकारी संस्थाएँ हैं।1 सरकारों को आव्हान देना या संयुक्त राष्ट्र तंत्र का या अपने लक्ष्यों के समर्थन में प्रसार माध्यमों या धरती से जुडे संगठनों के माध्यम से लोकमत संघटित कर रहे होते हैं। गैर-सरकारी संगठन मानवाधिकार के आंदोलन में पिछले सत्तर वर्षों में एक बडी ताकत के रुप में उभरे है।

आज के दौर में गैर-सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को लोकतंत्र का पाँचवा स्तंभ कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है।, जबकी मीडिया को लोकतंत्र का चैथा स्तंभ माना जाता है। गैर-सरकारी संगठन ऐसे पंजीकृत संगठन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र काम करते हैं। ये संगठन लोकहित के उद्देश्य से गैर-लाभकारी की भावना से प्रेरित होकर सरकारी क्षेत्र के बाहर स्थापित एवं संचालित होते हैं, वे गैर-सरकारी संगठन कहलाते हैं।2

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे स्वैच्छिक और व्यावसायिक संगठन तथा गैर-सरकारी संगठनों करे सिविल सोसायटी के रुप में अभिव्यक्त किया जाता है, जो जनससमस्याओं और सार्वजनिक नितियों की कमियों के बारे में जनमत तैयार करते हैं और आंदोलनरत रहते हैं। सिविल सोसायटी आम जनता के विचारों का उनके मानवाधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन है। सर्वप्रथम सिविल सोसायटी शब्दावली का उपयोग माक्र्स सिसरो ने किया था। जाॅन लाॅक, रुसो, हिगल, कार्ल माक्र्स, ग्राम्सी ने भी इस शब्दावली को अपने विचारों में प्रयुक्त किया था।

यहाँ हम सिविल सोसायटी की जगह गैर-सरकारी संगठन का शब्द प्रयोग करनेवाले है। यह गैर-सरकारी संगठन याने सिविल सोसायटीज वर्तमान में मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन में क्या भूमिका निभाते है, इसकी चर्चा प्रस्तुत लेख में की गयी है।

गैर-सरकारी संस्थायें सरकारों की अपेक्षा ज्यादा आस्था और विश्वास का आव्हान कर सकती है, क्योंकि सरकारों में संदेह किया जाता है कि वे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते है।3 वे धरती से अधिक जुडे होते है और अपने विचारों को स्वतंत्र रुप से अभिव्यक्त कर सकते हैं, वे उन बाधाओं से नहीं बंधे है, जिनसे कि सरकारी संगठन बंधे होते हैं। उनके क्रिया-कलापों का लोकमत पर प्रभाव पडता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये गैर-सरकारी संस्थायें आज विद्यमान हैं, यही अपने आप में एक बडी उपलब्धि है। पीटर आर्चर के अनुसार, "इन संगठनों का विद्यमान होना मानवाधिकार, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार तथा स्वतंत्र संगम के अधिकार की दृढतापूर्वक मांग का परिचायक है। इन अर्थों में कोई गैर-सरकारी संगठन दृढता के साथ मानवाधिकार की मांग करता है और जब एक स्थानीय संस्था एक अंतरर्राष्ट्रीय आयाम ग्रहण कर लेती है, या वह अपने को अन्य देशों में इसी

प्रकार के समूहों में संबंध कर लेती है तब यह सरकार की सहनशीलता पर एक मृदू तनाव पैदा करती है। सरकार उनके विचारों को अपनी सीमाओं से बाहर उत्पन्न होते हैं।”4

मानवाधिकार संबंधी गैर-सरकारी संगठनों का विश्व पहल पर प्रादुर्भाव का एक बहुत बडा कारण विश्वयुद्ध में लगभग पाँच करोड लोगों की मृत्यू को कहा जा सकता है जो द्वितीय विश्वयुद्ध की अपनी वसियत संपत्ति कही जा सकती है। इन गैर-सरकारी संगठनों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिससे परिणामस्वरुप मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों का संयुक्त राष्ट्रसंघ की चार्टर में उल्लेख हो सका।5 संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का प्रारंभिक प्रारुप या प्रस्ताव था उसमें मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों का सरसरी तौर पर उल्लेख था। यूएन चार्टर के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में गैर-सरकारी संगठन का उल्लेख हुआ है। सरकारी नियंत्रण से पृथक कोई भी संगठन या संस्था हो सकती है, बशर्ते उसमें, संगठन लाभ रहित कार्यकलापों से जुडा होना, अपराधिक या असामाजिक कार्यो में संलग्न न होना, मात्र विपक्षी या विरोधी राजनीतिक दल न हो यह विशेषताएँ सम्मिलीत होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अंतरर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर इसे ठीक करने के लिए दबाव बनाना। इसमें पान-अमेरिकन सम्मेलन ने अग्रणी भूमिका अपनायी। संयुक्त राज्य अमेरिका के जिन तीन प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों के उल्लेख के लिए काम किया हैं - अमेरिकन जेवीश कमिटी, नॅशनल कौन्सिल चर्चेस् और कमीशन टू स्टडी द आॅर्गनाइजेशन आॅफ पीस। इन संगठनों के प्रयासों के परिणामस्वरुप मानव अधिकार युएन चार्टर का हिस्सा या केंद्रिय लक्षण हो गया।6

10 दिसम्बर, 1948 के संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा को अंगिकृत किया। इस घोषणा का प्रारुप तैयार करने मेें गैर-सरकारी संगठनों ने उपयोगी भूमिका अदा की। मानवाधिकार आयोग ने इस घोषणा का प्रारुप तैयार करने के लिए जो विभिन्न प्रतिनिधि मंडल गये थे, उनके लिए इन गैर-सरकारी संगठनों ने ‘गैर-सरकारी सलाहकार’ के रुप में कार्य करके उन्हें बहुमूल्य विचार और सुझाव प्रस्तुत किये। यही नहीं इस घोषणा के पारित होने के पश्चात इसके प्रसार में भी उन्होंने निर्णायक भूमिका अदा की। प्रो.रेने कैसिन के अनुसार ये संगठन घोषणा के सिद्धांतों को बडे पैमाने पर जानकारी देने में प्रथम थे। ऐसा उन्होंने, विवरणिकाओं, आवधिक पत्रिकाओं, लेखों और अनेक सम्मेलनों के माध्यम से किया।7

संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार आयोग के प्रारंभिक दिनों के अडियल रुस से हताश इन्टरनेशनल लीग फार दी राइट्स आॅफ मैन जो अब इन्टरनेशनल लीग फाॅर ह्यूमन राईट्स-मानवाधिकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ में परिवर्तित हो गया है, वे मानवाधिकार आयोग को दरकिनार कर मानवाधिकार के उल्लंघनों पर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा उसने प्रकाशित अहवाल और प्रसार माध्यमों के जरिये किया। इस तरह इस संघ ने सर्वसत्तात्मक शासनों, सैनिक तानाशाहों, यहाँ तक कि जनतत्रंात्मक समाजों को शर्मिंदा किया।8 आंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो 1919 से विश्व स्तर पर श्रमिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन करने के लिए काम कर रहा है। सद्य परिस्थिति में यह संगठन 185 राष्ट्रों में काम करता है। इस संगठन ने श्रमिकों के मानवाधिकार के बारे में समय-समय पर घोषणापत्र तैयार किये हैं।9

एक अति प्रभावशाली मानवाधिकार संबंधी गैर-सरकारी संगठन ‘एमनेस्टी इन्टरनेशनल’ है जिसकी स्थापना पीटर बेनसन द्वारा 28 मई, 1961 में लन्दन में हुई थी। संप्रति दुनिया का मानवाधिकार संबंधी सबसे बडा संगठन, जिसके लगभग 12 लाख सदस्य, दुनिया के 60 देशों में फैले हुये हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी आंकडे इकट्ठा करने में इसके शोध विभाग का कोई सानी नहीं है। इसे एक ही साथ “एक

आन्दोलन और एक संस्था दोनों कहा जाता है।"10 इसके उद्देश्यों में से एक है - सभी उपयुक्त उपायों या अपमानजनक व्यवहार का उन लोगों के प्रति जो कैदी हैं, या बंदी है, या अन्य प्रतिबंधित व्यक्ति हैं, जिन्होंने हिंसा का प्रयोग या वकालत की है या नहीं, विरोध करना।11 मानवाधिकार के आंतरर्राष्ट्रीय संघ की शर्मिंदा करनेवाली तकनिक की तर्ज पर उसने राज्य उत्पीडन के शिकार व्यक्तियों को 'अंर्तचेतना के कैदी' के रुप में गोद लेना प्रारंभ किया। 1973 में इस संगठन ने तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया की साठ से अधिक देशों में अब भी यातना व्यवहार में लाया जा रहा है। इसे 1977 में 'नोबेल शांति पुरस्कार' प्राप्त हुआ। मानवाधिकार के लिए आंतरर्राष्ट्रीय संघ (थ्प्क्भ्) की स्थापना 1922 में हुई है। यह दुनिया का दूसरा पुराना गैर-सरकारी संगठन है जो पीडित व्यक्तियों के मानवाधिकार के लिए काम करता है। पीडितों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनके मानवाधिकार की रक्षा करना आदि कार्य यह संगठन करता है। एफआयडीएच संगठन का विस्तार विश्व के 100 राष्ट्रों में हुआ है। उनके 184 सदस्य संगठन विश्व में हिंसा रोकने के लिए और पीडितों को उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए सहाय्यता करते हैं।12

आंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और गैर-सरकारी संगठन जो मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिये प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है वह 'इंटरनेशनल कमिशन आॅफ ज्युरिस्टस' है। यह संगठन 1952 में बर्लिन में स्थापित हुआ था। जिसका मुख्यालय जिनेव्हा में है। नियाल मैकडरमाट, जो इंटरनॅशनल कमिशन आॅफ जुरिस्टस के महासचिव रहे हैं। उनके अनुसार यह संगठन "विधि द्वारा शासन के माध्यम से मानवाधिकार संवर्धन हेतु लडने में पूरे विश्व के वकिलों की अन्तआत्मा का प्रतिनिधित्व करता है।"13

1 अगस्त 1975 को हेलसिनकी फाइनल एक्ट, नाटो, यूरोप के तटस्थ और गुटनिरपेक्ष देशों तथा वारसा पॅक्ट के द्वारा अंगिकृत किया गया था। इससे हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा 'मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं' संबंधी प्रावधानों का पालन किया जाना था। हेलसिनकी एक्ट के हस्ताक्षरकर्ता राज्य इसके मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों का पालन करे इसके लिए कई गैर-सरकारी संगठनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इनमें सम्मिलित है- मास्को हेलसिनकी ग्रूप और कमिटी आॅफ वर्कर्स डिफेन्स और हेलसिनकी वाच है। मास्को हेलसिनकी ग्रूप एक बडा ही महत्वपूर्ण संगठन इसलिये बना कि इसके द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं से विस्तृत दस्तावेज तैयार करने में सहाय्यता मिलती थी, जो सोवियत युनियन द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की कहानी कहते थे। कमेटी आॅफ वर्कर्स डिफेन्स ने पौलैंड में सालिडैरिटी आंदोलन को जन्म दिया, जिसके परिणामस्व्रुप चार्टर 77 का सृजन हुआ और जिसके अध्यक्ष जनवरी 1977 मे वेक्लाव हैवेल बने।14

'हयूमन राईट्स वाॅच' यह गैर-सरकारी संगठन आंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर 1978 से प्रभावी ढंग से कार्य करता आया है। इसका प्रमुख उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की तरफ विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करना होता है। 2017 के रिपोर्ट में हयूमन राईट्स वाॅच के डायरेक्टर केनेथ रोथ ने कहा है की, "जनाधिकारवाद का उदय मानवाधिकार के लिए गहरा खतरा है।" उन्होंने यह बात अमेरिका और अन्य राष्ट्र में जो नेतृत्वों का उदय हुआ है उनके बारे में कहा है।15

महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिये विश्व स्तर 'एडब्ल्यूआयडी' नामक गैर-सरकारी संगठन की स्थापना 1982 में हुई थी। यह संगठन महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुध्द आवाज उठाता है। लिंग समानता, संतुलित विकास के बारे में कार्यरत संगठन आज विश्व पटल पर महिलाओं के मानवाधिकार के रक्षा हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और एक महत्वपूर्ण संगठन जो (व्डब्ज्) 'वल्ड आर्गनायझेशन अगेंस्ट टाॅरचर' नाम से जाना जाता है, जिसका मूल उद्देश्य उत्पीडन से

मुक्ति और मानवाधिकार संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना है। यह संगठन महिला और बालकों के मानवाधिकार के लिए काम करता है। हर साल अहवाल प्रसिध्द करते हुए, पीडित व्यक्तियों के मानवाधिकार संरक्षित करने के लिये भी कार्यरत है।16

मानवाधिकार के क्षेत्र में जुटे, उन संगठनों के अतिरिक्त जिनका विवेचन उपर किया जा चुका है, कुछ और संगठन हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया हैं। उसमें सम्मिलित हैं-बिनाई बिरीथ, फिजिसियन्स फाॅर हयूमन राईट्स, इंटरनॅशनल लीग फाॅर दी राइट्स आॅफ मैन, इंटरनॅशनल एसोसियेशन, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ हयूमन राइट्स, लाॅयर्स कमिटी फाॅर हयूमन राइट्स, युथ फाॅर हयूमन राइट्स इंटरनॅशनल आदि।

अपने उद्देश्यों और कार्यों में विशिष्टीकृत यह संगठन न केवल लोकमत गठित करते है अपितु उसका निर्माण भी करते हैं। अक्सर ये विनिश्चयात्मक परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास भी करते है। मानवाधिकार की अंतरर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंगिकृत किये गये अभिसमयों और प्रसंविदाओं के लिये भी इन्हें श्रेय जाता है। दो प्रमुख संविदाएँ हैं-नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की आंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामूाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की आंतरर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे अभिसमय हैं जो गैर-सरकारी संगठनों के प्रभाव के कारण प्रभावी हुए हैं। जैसे महिलाओं के विरुध्द सभी रुपों में भेदभाव के समापन संबंधी अभिसमय (1981), यातना के विरुध्द अभिसमय (1987), बाल अधिकार अभिसमय (1990)।

भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

मनवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिये गैर-सरकारी संगठन भारत वर्ष में भी सराहनीय काम कर रहे हैं। उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में भी स्वीकार किया है। तभी अधिनियम की धारा 12 (1) में ‘मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का कार्य’ मानवाधिकार आयोग को सौंपा गया है। मानवाधिकार आयोग इसे स्वीकार भी करता है कि, उसे व्यावहारिक सहाय्यता तथा ऐसी रचनात्मक आलोचना के माध्यम से ऐसा काफी कुछ हासिल करना है जो गैर-सरकारी संगठनों और आयोग के पारस्परिक संबंधों एवं अतःसंबंधों से आगे बढ सकता है।17

गैर-सरकारी संगठन मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण के तीन रुपों में सहाय्यक होते हैं। प्रथम तो यह कि, मानवाधिकार के उल्लंघन का पता लागकर उन्हें जनसाधारण के ध्यान में ले आना या मुखरित करना तथा उनके निवारण के लिये प्रयत्न करना। ये कार्य वे आसानी से कर सकते है। दूसरा, ये गैर-सरकारी संगठन जनसाधारण से जुडे होने के कारण मानवाधिकार के उल्लंघन के गंभीर और अतिसंवेदनशील मामलों में अन्वेषण की प्रक्रिया में हर प्रक्रम पर सहाय्यता करते हैं। तीसरे, जैसा कि मानवाधिकार आयोग कहता है, “मानवाधिकार कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों की निजी उच्च स्तरीय विशेषज्ञता आयोग के लिए अत्यधिक उपयोगी स्त्रोत बन सकती है क्योंकि आयोग विशिष्ट मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करता है और उसके संबंध में अपनी शिफारिशें प्रस्तुत करता है।” जैसे बालश्रम, दलित अत्याचार तथा बंधुआ मजदूरों की समस्याएँ। ऐसे कार्यों के लिये उन गैर-सरकारी संगठनों की सहाय्यता अपेक्षित होती है जो इसके विशेषज्ञ हैं।

भारत वर्ष में गैर-सरकारी संगठन मानवाधिकार के क्षेत्र में उपर्युक्त बताये गये तीनों प्रकार के कार्य कुशलता से कर रहे है। इन संगठनों की संख्या सूची बडी लम्बी है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण संगठनों की

जानकारी यहाँ हम ले सकते है। आॅल इडिया ह्यूमन राइट्स असोसिएशन यह गैर-सरकारी संगठन लोगों को अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए काम कर रहा है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में कार्य करनेवाले संगठनों में 'कज्यूमर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर' प्रमुख है। यह संगठन मुख्यतः मीडिया उपभोक्ता अनुसंधान और अनुरक्षण के जरिये विभिन्न परियोजनाओं पर काम करता है। 'बचपन बचाओ आंदोलन' जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी द्वारा 1980 में स्थापित हुआ है, यह गैर-सरकारी संगठन बाल अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे देश में काम करता है।18 और एक गैर-सरकारी संगठन जो 'राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान' के नाम से जाना जाता है। यह संगठन दलितों के मानवाधिकारों के संरक्षण और जो अत्याचार होते हैं उन सभी अत्याचारों की जानकारी इकठ्ठा करके, यह संगठन हर साल अपना अहवाल सरकार को देता है। इस अभियान के अंतर्गत दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन, आॅल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच, नॅशनल फेडरेशन आॅफ दलित लॅंड राईट्स मुव्हमेंटस्, नॅशनल मुव्हमेंटस् फाॅर जस्टीस आदि संगठन कार्यरत हैं।19 मानवाधिकार आयोग की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट 1994-95 के अनुसार ऐसे 200 संस्थाएँ जो मानव अधिकारों में अपनी विशेषज्ञता रखती है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथा प्रमुख है-पिपूल्स युनियन फाॅर सिव्हील लिबर्टीज, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, पिपल्स युनियन फाॅर डेमोक्रेटिक राइट्स, तामिलनाडू विधि सहायता एवं परामर्श बोर्ड, सिविल लिबर्टीज कमेटी (आन्ध्र प्रदेश), रुरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटिलमेंट केंद्र (देहरादून), इंडियन कौन्सिल फार इनवायरनमेंट लिगल ॲक्शन, महिला अत्याचारविरोधी जनआंदोलन, उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद तथा गुडिया (वाराणसी), मानवी हक्क अभियान (महाराष्ट्र) आदि। इनके अतिरिक्त केवल महिलाओं से संबंधीत कुछ गैर-सरकारी संगठन हैं जो महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा करते है। उनमें-काली फार विमेन, शक्ति शालिनि, मनुषी, अंकूर, मुंबई में अक्षरा, हैद्राबाद में अश्मिता, सेंटर फाॅर विमेन्स डेव्हलपमेंट, वीमन्स पाॅलिटिकल वाच आदि।

अब जब मानवाधिकार के उल्लंघन की जाँच और अन्वेषण का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जा रहा है, ये संगठन आयोग को शिकायतें भेजकर, आयोग के कार्यों में बहुमूल्य योगदान कर रहे है। यही नहीं इनमें बहुत-सी संस्थाओं ने न्यायालयों में सीधे वाद या रिट याचिकाएँ दाखिल करके लोगों को बहुत बडे पैमाने पर राहत दिलाई है।

निष्कर्ष

अब हम इक्कीसवी सदी में है, इन गैर-सरकारी संगठनों का मानवाधिकार के मामले में घनिष्ठ रुप से जुडा होना बहुत बडे पैमाने पर बढ गया है। आज मानवाधिकार सक्रियतावादी संगठन वास्तव में दुनिया के सभी देशों में फैले हुये है। उनमें से कुछ स्वतंत्र वाक, जनतंत्र, धार्मिक, जातीय और मूलवंशीय सहिष्णुता के लिये अपने जीवन और जीविका का जोखिम उठा रहे हैं। कतिपय ऐसे हैं जो यातना, मनमाने कारावास और दासता के समकालीन रुपों के विरुध्द बोल रहे हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे हैं जो आंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को प्रभावित करने विकास को बढावा देने, बालश्रम को सिमित करने, बारुदी सुरुंगों को प्रतिबन्धित करने तथा महिलाओं और लडकियों में मानव दुव्यापार को रोकने के लिये कार्य कर रहे है। इन संगठनों के प्रयास से अभी मानवाधिकार का हनन रुका तो नहीं है। परंतु आज आंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन ने जो शक्ति और उत्साह अर्जित कर लिया है, उससे यह आशा पल्लवीत होती है कि, वर्तमान सदी में इस क्षेत्र में ज्यादा प्रगति होगी। यह प्रगति परम सीमा तर पहुँचने के लिये इन संगठनों को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें शक्तिशाली और अनुक्रियाशील बनाना पडेगा, और यह काम आंतर्राष्ट्रीय

समुदाय कर सकता है। बहुत से राज्य इन संगठनों को स्वतंत्र रुप से कार्य करने की अनुमति नहीं देते, राज्य को लगता है कि यह गैर-सरकारी संगठन उनके शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है, यह सोच राज्य को बदलनी चाहिए। इस इक्कीसवी सदी में हर व्यक्ति को मानवाधिकार प्राप्त करने का मौका मिलना ही है, क्योंकि मानवाधिकार दुनिया के सभी व्यक्ति के लिए निसर्गतः प्राप्त हैं। यह काम अनुक्रियाशील गैर-सरकारी संगठन कर रहे हैं।

संदर्भ

1) देखें, विलियम कोरे, “एनजीओज-फिफ्टी इअर्स आॅफ एडवोकेटिंग ह्यूमन राईट्स”, जनरल इसूज आॅफ डेमोक्रेसी, नवम्बर 1998, पृ.42
2) शर्मा, जी.एल. 2013. सामाजिक मुद्दे. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स.
3) सैयदसहाबुद्दीन, “इम्लीमेंटेशन आॅफ ह्यूमन राइट्स”, सिंघवी द्वारा सम्पादित, प्रोटेक्शन आॅफ ह्यूमन राइटस (1967) में पृ.161
4) पीटर आर्चर, “ऐक्शन वाई अन आफिशियल आर्गनाइजेसन्स आन ह्यूमन राइटस”, लुआर्ड सम्पादित, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन आॅफ ह्यूमन राइटस (1967) में पृ.161
5) देखें, विलियम कोटे, वही, पृ.42
6) उपरोक्त
7) उपरोक्त
8) उपरोक्त
9) कौशिक आशा. 2010. मानवाधिकार और राज्य: बदलते संदर्भ, उभरते आयाम. जयपुर: पोइन्टर पब्लिशर्स. पृ.306
10) त्रिपाठी, टी.पी. 2009. मानव अधिकार. इलाहाबाद: इलाहाबाद लाॅ एजेन्सी पब्लिकेशन्स. पृ.287
11) उपरोक्त, पृ.288
12) उपरोक्त, पृ.288
13) https://www.icj.org. Retrived 17 August, 2017
14) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Moscow_Helsinki-Group. Retrived 17 August, 2017
15) मिश्रा, कौशेंद्र. 2008. एनजीओज इन द ह्यूमन राइट्स मूव्हमेंटस. नयी दिल्ली: नवयुक पब्लिशर्स ॲन्ड डिस्ट्रीब्युटर्स. पृ.167-168
16) रेड्डी, चेन्ना. 2010. ह्यूमन राइट्स आॅफ वूमेन. दिल्ली: मंगलम् पब्लिशर्स. पृ.39
17) देखें, मानव अधिकार आयोग की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट, पृ.29
18) शर्मा, जी.एल., वही, पृ.308
19) www.ncdhr.org.in Retrieved 17 August, 2017